न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 42/2023

उनवान

1. दुर्गा देवी पत्नी नारायण लाल
2. पप्पू पुत्र नारायण लाल
3. बाबूलाल पुत्र नारायण लाल
4. संतोष पुत्र नारायण लाल

समस्त व्यस्क जाति मीणा निवासी बिशनगढ, उपतहसील मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये भू–धारक उपतहसीलदार मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2. मालीराम पुत्र रामकुंवार जाति मीणा निवासी बिशनगढ, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

कमली
बिल्लू
ममता देवी } पुत्रीयान नारायण लाल
महेशी
सावित्री

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

समस्त व्यस्क जाति मीणा निवासी बिशनगढ, उपतहसील मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 31/01/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थीगण के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि आराजी ख.नं. 962 रकबा 0.55 है0, 963 रकबा 0.60 है0 कुल किता 2 रकबा 1.15 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर कब्जा कास्त करते चले आ रहे है। जिसका उपतहसीलदार मनोहरपुर के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/भू.अ./2023/78 दिनांक 10.03.2023 की पालना में दिनांक 14.03.2023 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अप्रार्थीगण सं0 01 लगा0 07 की

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

ओर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं हुए जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 14.03.2023 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के हाल खाता संख्या 217 में प्रश्नागत आराजी आराजी ख.नं. 962 रकबा 0.55 है0, 963 रकबा 0.60 है0 कुल किता 2 रकबा 1.15 है0 वाकै ग्राम किशनगढ तह0 शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 14.03.2023 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/01/24 को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण